संख्या 12012/1/97-स्था॰(छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 20 , 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषयः रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में अवकाश की हकदारी के बारे में पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय ।

पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 125.8 में रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में अवकाश की हकदारी के बारे में अनेक सिफारिशें की थीं । संयुक्त परामर्शदायी तंत्र (जे॰सी॰एम॰) की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ सितम्बर 11, 1997 को हुए हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, सरकार ने यह तय किया है कि अब से रेल-मंत्रालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारी अपने द्वारा की गई सेवा के वर्षों की संख्या पर कोई ध्यान दिए जाने के बिना ही, अपनी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के संबंध में 30 दिन की दर से अर्जित अवकाश (जिसे सवेतन वार्षिक अवकाश कहा जाता है) पाने के हकदार होंगे । यह अर्जित अवकाश उन्हें इस शर्त पर देय होगा कि अर्जित अवकाश लिए जाने पर उसके बीच में पड़ने वाले अवकाश के दिन भी उक्त अर्जित अवकाश में गिने जाएंगे ।

2. रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में लागू अन्य शर्तें पूर्ववत् बनी रहेंगी ।

3. ये आदेश, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे ।

4. ये आदेश इन के जारी किए जाने की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे ।

(हरिन्द्र सिंह)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग